

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025

मामलों का त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति से समाधान का सुनहरा अवसर

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के निर्देशानुसार *राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान* का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों का *आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराना* है, जिनमें समाधान की संभावना अधिक है। इस प्रक्रिया से वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा, साथ ही समय एवं धन की बचत भी होगी।

श्री दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत जिन प्रमुख मामलों को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं:

- वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले
- मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं (MACT)
- घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण
- चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले
- वाणिज्यिक विवाद
- लघु आपराधिक प्रकरण
- उपभोक्ता विवाद
- ऋण वसूली से संबंधित मामले
- संपत्ति के बंटवारे से संबंधित वाद
- भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले
- अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरण

मध्यस्थता का उद्देश्य

मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों को आपसी संवाद एवं समझ से

समाधान की ओर प्रेरित करना है। यह प्रक्रिया न्यायालय की तुलना में अधिक तेज़, गोपनीय एवं कम खर्चीली होती है। मध्यस्थता से न केवल विवादों का समाधान होता है, बल्कि पक्षकारों के बीच संबंधों की भी रक्षा होती है।

सार्वजनिक अपील

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा आमजन एवं विधि व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं तथा मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराएं। इच्छुक व्यक्ति या पक्षकार *अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में जमा कर* इस जनहितकारी प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं।

सुलह समझौता के आधार पर प्रकरण निस्तारित करने पर जोर

जनसंदेश न्यूज

प्रयागराज। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे

30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादों को आपसी सहमति से हल करना, दोनों पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और



समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षों के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती हैं, वे सार्वजनिक नहीं होती हैं। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में जुलाई माह के अंदर जमा कराकर इस अभियान का लाभ उठावें। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज, ने दी।

इलाहाबाद एक्सप्रेस

उत्तर प्रदेश

30 सितम्बर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

इलाहाबाद एक्सप्रेस

प्रयागराज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों

को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले,



भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादों को आपसी सहमति से हल करना, दोनों पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षों के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर

गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती हैं, वे सार्वजनिक नहीं होती हैं। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों को निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत सुलह योग्य प्रकरणों का निस्तारण, 30 सितंबर तक मौका

युनाइटेड भारत

प्रयागराज । उग्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर



● राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो
● 30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना

अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादों को आपसी सहमति से हल करना, दोनों पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षों के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती हैं, वे सार्वजनिक नहीं होती हैं। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो, को कराए निस्तारण

30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान



प्रयागराज। 30 प्र0 राज्य प्रकरणों को उक्त अभियान के विधिक सेवा प्राधिकरण, अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/ से सुलह समझौते के आधार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा पर निस्तारण कराया जाना है प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिससे वादकारियों को त्वरित राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के न्याय मिल सकेगा व उनके धन तहत मध्यस्थता के माध्यम से व समय की भी बचत न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिसमें सुलह समझौता के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आधार पर समाधान की प्रयागराज द्वारा बताया गया कि संभावना अधिक हो तो ऐसे यह अभियान 30 सितंबर 2025

तक चलाया जाएगा एवं इस पक्षों के बीच संबंधों की बनाए अभियान के अंतर्गत न्यायालय रखने में मदद करती है एवं में लंबित वैवाहिक विवाद पक्षों को अपने विवादों को स्वयं मामले, मोटर दुर्घटना दावे के हल करने का अधिकार देती मामले, घरेलू हिंसा के हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया मामले, चेक बाउंस के मामले, आमतौर पर गोपनीय होती है, वाणिज्यिक विवाद के मामले जिसका मतलब है कि जो बातें लघु आपराधिक मामले, मध्यस्थता में कही जाती हैं, वे उपभोक्ता विभाग के मामले, सार्वजनिक नहीं होती हैं। ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही के बंटवारे से संबंधित मामले, की तुलना में कम खर्चीली होती भूमि अधिग्रहण के मामले वह है। सचिव जिला विधिक सेवा अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं को शामिल किया गया है। विधि व्यवसायियों से अपील है कि मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित विवादों को आपसी सहमति से न्यायालय में माह जुलाई 2025 के सुलझाना है, बिना अदालत अंदर जमा करा कर इस अभियान जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों लक्ष्य विवादों को आपसी का निस्तारण मध्यस्थता के आधार सहमति से हल करना, दोनों पर करा सकते हैं। यह जानकारी पक्षों को एक-दूसरे की बात दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला सुनने और समझने में मदद विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज करना होता है। मध्यस्थता, द्वारा प्रदान की गई।